

Office (EIT)

Receipt No. 5318

Date 16 NOV 2016

OGM (IT) / SE (O)

EE

Section 11/1/स्था./ 2571

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छ.रा.वि.सं. की एक उत्तरवर्ती कंपनी) (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

CIN-U40108CT2003SGC015822



कार्यालय-कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)

रायपुर दिनांक 16 NOV 2016

आदेश

1x500 मेगावाट, कोरबा पश्चिम, ताप विस्तार परियोजना, कोरबा पश्चिम के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि के भूस्वामी के विस्थापित परिवार के द्वारा नामांकित अधोलिखित उम्मीदवार को लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर आदेश में निहित नियम एवं शर्तों के तहत संविदा आधार पर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालय में उपस्थिति दिनांक से तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है-

क्रं.	रोल नंबर	नाम एवं पिता का नाम सर्वश्री	उम्मीदवार की श्रेणी	कार्यालय का नाम जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1.	260	श्री जीवन लाल आठ श्री अमर साय	अ.जा.	मुख्य अभियंता (रा.क्ष.) छ.रा.वि.वि. कं.मर्या., रायपुर

उक्त संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है-

- लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है। उम्मीदवार की कार्य कुशलता एवं दक्षता के आधार पर, नियुक्ति की अवधि, एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति की अधिकतम अवधि (प्रथम नियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए) 10 वर्ष होगी।
- लाईन परिचारक (संविदा) पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि गलत एवं फर्जी है तो उम्मीदवार को बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जावेगा।
- संविदा नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यक्षीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे भी मामला हो, से संबंध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।
- संविदा नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों की समयावधि में अपने पदस्थापना स्थल पर, कार्य पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका संविदा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। वितरण केन्द्र में पदस्थ उम्मीदवारों को अपने पदस्थापना स्थल से संबंधित संभागीय कार्यालय में प्रथमतः उपस्थिति, निर्धारित 30 दिनों की समयावधि में दर्ज कराना होगा। उम्मीदवार द्वारा संभागीय कार्यालय में उपस्थिति के समय दसवीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करें, प्रमाणीकरण (verification) कराना होगा।


5. उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा किया जावेगा। पुलिस विभाग की रिपोर्ट में यदि कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त होती है तो बगैर पूर्व सूचना के संविदा नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
7. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/अ.प्र./1-3, दिनांक 29.06.2013 में निहित शर्तों के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है।
8. नियोजन काल में उम्मीदवार के अंतरक्षेत्रीय स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. उम्मीदवार को प्रतिमाह राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु समय-समय पर घोषित मानदेय एवं उस मानदेय पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मैदानी भत्ता प्रदान किया जावेगा। वर्तमान में प्रभावशील दर (दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक) के अनुसार दिए जाने वाले मानदेय की गणना निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मद	राशि (रुपये में)
1.	राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ता	5,860/-
2.	मैदानी भत्ता (क्रमांक 01 का 5 प्रतिशत)	293/-
योग		6,153/-

10. मानदेय के अतिरिक्त, कर्मचारी कल्याण सुविधा के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) एवं बोनस समय-समय पर प्रचलित दरों के आधार पर देय होंगे।
11. देय मानदेय में से कर्मचारी अंशदान के रूप में "कर्मचारी भविष्य निधि" एवं "कर्मचारी राज्य बीमा" राशि (जहां लागू हो) की कटौती समय-समय पर प्रचलित दरों पर की जावेगी।
12. उम्मीदवार को मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता एवं अनुषंगी लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. उम्मीदवार की नियुक्ति, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012, यथा संशोधित, के प्रावधानों के अध्याधीन है।
14. नियुक्त उम्मीदवार पर छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू होंगे।
15. उम्मीदवार की सेवाएं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत किसी भी पक्ष (उम्मीदवार एवं नियोक्ता) द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का मानदेय देकर समाप्त की जा सकती है।

16. उम्मीदवार को पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
17. उम्मीदवार की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/परफार्मेंस रिपोर्ट लिखी जावेगी ताकि उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके।
18. उम्मीदवार को एक वर्ष के कालखंड में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
19. यदि उम्मीदवार बिना अनुमति कार्य से अनुपस्थिति रहता है तो उसकी अनुपस्थिति की अवधि के वेतन की अनुपातिक कटौती की जावेगी।
20. उम्मीदवार को राज्य में प्रभावशील श्रम कानून के अंतर्गत दुर्घटना बीमा, कर्मकार क्षतिपूर्ति एवं वैयक्तिक बीमा की पात्रता होगी।
21. लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है, जिस पर नियोक्ता कंपनी को नियमितिकरण की बाध्यता नहीं है।


संलग्न-शपथ पत्र



(प्रहलाद सिंह)
कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर

प्रतिलिपि-

1. कार्यपालक निदेशक (संचा./संधा.) छ.रा.वि.वितरण कं.मर्या. रायपुर।
2. मुख्य अभियंता (रा.क्षे.)/ (मा.सं.)/ (ऊ.सू.प्रौ.के.)/ (प्रशि., अनु. एवं वि.) छ.रा.वि. वितरण/उत्पादन कं.मर्या. रायपुर।
3. अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.) छ.रा.वि.होलिडिंग कं.मर्या. रायपुर।
4. उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-दो/सचि./जनसंपर्क, छ.रा.वि.होलिडिंग कं.मर्या. रायपुर।
5. औद्योगिक संबंध अधिकारी/मुख्य विधि अधिकारी/वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी छ.रा.वि.होलिडिंग कं.मर्या. रायपुर।
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी-एक/दो, छ.रा.वि.वितरण कं.मर्या. रायपुर।
7. स्टाफ आफिसर संबद्ध अध्यक्ष छ.रा.वि. वितरण कं. मर्या. रायपुर।
8. स्टाफ आफिसर संबद्ध प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर (होलिडिंग/वितरण/उत्पादन/पारेषण/ट्रेडिंग) कंपनी लिमिटेड रायपुर।
9. श्री जीवन लाल, आ. श्री अमर साय, ग्राम-बिन्डोलभाठा, पो. गोपालपुर जिला-कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(हर्ष गौतम)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ0/पति उम्र
वर्ष, व्यवसाय निवासी तहसील
जिला राज्य शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
- (2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन प्रदान की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के संबंध में
(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (5) कदाचित् उपर्युक्त जाति प्रमाण-पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जाँच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊंगा/होउंगी तथा उक्त राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ0/पति
सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लेखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता/करती हूँ।